

राजस्थान सरकार

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प :- अटल सेवा केन्द्र अजाना

--: आदेश :-

प्र०सं० :- 92/2018

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी अजाना व भूअ.नि. ....

डिप्लोमा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जवाहरपुरा तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में खाता संख्या 69 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>जवाहरपुरा</u>	<u>69</u>	<u>5.B.13.5</u>	<u>5.B.5</u>

401  
(मोह (मलाल प्रतिहार))  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
राशमी, जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक / राजस्व / 92/2018  
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 14-5-18

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री 5-B-7 को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

401  
(मोह (मलाल प्रतिहार))  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
राशमी, जिला चित्तौड़गढ़